भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

सफदरजंग अस्पताल में **"(1) "प्लास्टर कटर, (2) प्लास्टर तकनीशियन (3) वरिष्ठ प्लास्टर तकनीशियन"** के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक

सूचना

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-डीओपीटी के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी. 14017/61/2008-स्थापना (आरआर) के अनुपालन में, सफदरजंग अस्पताल में **"(1) "प्लास्टर कटर, (2) प्लास्टर तकनीशियन (3) वरिष्ठ प्लास्टर तकनीशियन"** के पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमों के मसोदे पर कोई भी आपतिधारक इच्छुक टिप्पणियाँ अथवा सुझाव देने के लिए टिप्प/भर्ती नियमो के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनो की अवधि के भीतर अनुभाग अधिकारी (एम.एच.–II) कमरा सं 405 ए, **स्वास्थ्य** सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को लिखित रूप में भेज सकते हैं या medicalhospital61@gmail.com पर ई हैं। सकते कर मेल-

(जी.पी. सामंत)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष-011 : 23061521

नई दिल्ली
दिनांक :

[भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड–3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, तारीख ,2020

अधिसूचना

सा.का.नि. . . . . - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में प्लास्टर कटर, प्लास्टर तकनीशियन और वरिष्ठ प्लास्टर तकनीशियन के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, प्लास्टर कटर, प्लास्टर तकनीशियन और वरिष्ठ प्लास्टर तकनीशियन (समूह 'ग'), भर्ती नियम, 2020 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं आदि-** भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता:** वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लेखबद्ध करके आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संदर्भ में शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

53

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(i) प्लास्टर कटर	4 (2020)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रुपये) ।	चयन ।	18 से 25 वर्ष के बीच । (सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार टिप्पण:आयु-सीमा निर्धारण की नियत तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथानिर्धारित होगी ।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण, और (ii) सरकारी/सरकार से मान्यताप्राप्त अस्पताल में प्लास्टर रूम/प्लास्टर कटिंग का एक वर्ष का कार्य अनुभव/प्रशिक्षण ।	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हता : हाँ	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष ।	100% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
अन्य समूह 'ग' कर्मचारी वर्ग में से प्रोन्नति जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18000-56900 रुपए) में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है।	**विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:** 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष; 2. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में संबंधित विभाग के प्रमुख - सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में सफदरजंग अस्पताल का कार्य देखने वाले उप निदेशक - सदस्य। **विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:** 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष; 2. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में संबंधित विभाग के प्रमुख - सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में सफदरजंग अस्पताल का कार्य देखने वाले उप निदेशक-सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(ii) प्लास्टर तकनीशियन	6 (2020)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 4 (25500-81100 रुपये)।	चयन।	18 से 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण:आयु-सीमा निर्धारण की नियत तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथानिर्धारित होगी।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक अर्हता : (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण, और (ii) सरकारी/सरकार से मान्यताप्राप्त अस्पताल में प्लास्टर कटर के रूप में कार्य करने का पाँच वर्ष का अनुभव।	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हता : हाँ	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष।	40% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और 60% प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
पदोन्नति : सफदरजंग अस्पताल के प्लास्टर कटर में से प्रोन्नति, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (19900-63200 रुपए) में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो । प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 (21700-69100 रुपए) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (19900-63200 रुपए) में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो ; (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों । टिप्पण -1 पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । टिप्पण – 2 प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।	**विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:** 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष; 2. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में संबंधित विभाग के प्रमुख - सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में सफदरजंग अस्पताल का कार्य देखने वाले उप निदेशक - सदस्य । **विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:** 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष; 2. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में संबंधित विभाग के प्रमुख - सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में सफदरजंग अस्पताल का कार्य देखने वाले उप निदेशक - सदस्य ।	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(iii) वरिष्ठ प्लास्टर तकनीशियन	01 (2020)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (25500-92300 रुपये)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	100% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
सफदरजंग अस्पताल के प्लास्टर तकनीशियन में से प्रोन्नति, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रुपए) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो। **प्रतिनियुक्ति:** केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं: या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 4 (25500-81100 रुपए) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 3 (21700-69100 रुपए) में **दस वर्ष** की नियमित सेवा की हो ; और **(ख) प्लास्टर तकनीशियन के रूप में पाँच वर्ष का अनुभव।** **टिप्पण- 1** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण –2 प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	**विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:** 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष; 2. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में संबंधित विभाग के प्रमुख - सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में सफदरजंग अस्पताल का कार्य देखने वाले उप निदेशक - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[ए.12018/18/2016-एमएच II]

(जी.पी. सामंत)
अवर सचिव, भारत सरकार